

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट
पट्टरडी 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 14-5-18
फैसल दि० 14-5-18

श्री देवीलाल पिता लालजी
(वादी) पटेल वगैरा

अनवान
बनाम

भूमिधारी तहसीलदार
(प्रतिवादी) लालजी

वादी श्री देवीलाल पिता लालजी काहा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा काहा के खाता नम्बर काहा जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम देवीलाल लालजी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम देवीलाल
पिता लालजी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम देवीलाल
पिता लालजी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम देवीलाल लालजी पटेल
काहा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा काहा की जमाबन्दी संवत् 2073-76
के खाता संख्या 126 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम देवीलाल पिता लालजी में संशोधन कर सही नाम
देवीलाल लालजी पटेल काहा दर्ज रेकार्ड किया जावे।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा